न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 86/2021 दायरा दिनांक : 05.07.2021

उनवान

गणपत पुत्र शंकरलाल, जाति भोई, निवासी खेड़ी मल्हारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पिता भैरूलाल, जाति भोई

2– राधेश्याम पिता भैरूलाल, जाति भोई

3– सुमन बाई बेवा भैरूलाल, जाति भोई

अकवाम निवासीगण सीतामऊ, तहसील सीमामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

4– पार्वती बाई पिता उमा जी माता मन्नीबाई पत्नी भीमचन्द, जाति भोई, निवासी मन्दसौर मध्यप्रदेश

5– केसर बाई पिता उमा जी माता मन्नीबाई पत्नी नानूराम, जाति भोई, निवासी बसार, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़

6– रामकुंवार बाई पिता उमा जी माता मन्नीबाई पत्नी गोविन्दराम, जाति भोई, निवासी रामपुरा, तहसील रामपुरा, जिला नीमच मध्यप्रदेश

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रचनाकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या –109/दावा/2016 निर्णय दिनांक 23.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम मल्हारगंज पटवारी क्षेत्र भाटखेड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गंगधार, तहसील गंगधार की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 में नया खाता संख्या 144 पुराना खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 175/2 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 255/4 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 256/4 रकबा 0.03 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 2.13 बीघा आराजियात स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार गंगधार को रिमाण्ड कर निर्णय पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के विपरीत है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★कोटा★

रेस्पोडेंट 1 लगायत 6 वादीगण ने एक वाद बाबत घोषणात्मक पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम मल्हारगंज की विवादित आराजी 2 बीघा 13 बिस्वा के मामले में नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 05.04.2011 निष्प्रभावी घोषित किया जाकर उक्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार गंगधार को रिमाण्ड कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निर्णय करने हेतु निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा व साक्ष्य के बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है । अपीलांट को नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा विधिवत रूप से खातेदारी दी गई थी, रेस्पोडेंट द्वारा उक्त इंतकाल घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में आज तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई एवं वर्तमान में भी अपीलांट राजस्व रेकार्ड में खातेदार अंकित है एवं अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है । ऐसी स्थिति में विधिवत सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी के द्वारा धारा 88 के अन्तर्गत बाबत घोषणात्मक पेश किया था, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में दावे को रिमाण्ड कर सुनवायी हेतु तहसीलदार को प्रषित करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी प्रावधानों व दस्तावेजात पर कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित कर दिया । विवादित आराजी के मामले में खातेदार मुन्नीबाई द्वारा अपीलांट के हक में वसीयत की गई थी, उसी अनुसार विवादित आराजी के मामले में अपीलांट के हक में नामान्तरकरण संख्या 554 तस्दीक किया जाकर खातेदारी दी गई थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांट को विधिवत सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 20.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर दावा वादी स्वीकार किया गया । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करते हैं । विधिक राजीनामे के अभाव में सी.पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकरण में बिना पक्षकारान के राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है । राजीनामे के अभाव में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, क[redacted]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (सी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा